DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः प.2(1672)डीओआईटी/संस्था/13/Z/28689/2015 जयपुर, दिनांक 06/02/2015

आदेश

श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर (परिवीक्षाधीन), का भामाशाह योजना के सुचारु संचालन हेतु स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला कलेक्ट्रेट, ई–गवर्नेन्स सैल, ब्लॉक मुख्यालय, कोटड़ा, जिला उदयपुर में किया गया था। श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर द्वारा उक्त कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया जाकर उक्त आदेशो की अवहेलना की गई है जिससे उदयपुर जिले में दिनांक 01.09.14 से भामाशाह योजना के तहत प्रारम्भ नामांकन अभियान में कोटड़ा ब्लॉक में सुचारु कार्य निष्पादन में बाधा आई है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री त्रिलोकी नाथ, प्रोग्रामर (परिवीक्षाधीन) को तुरन्त प्रभाव से सेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री शर्मा, प्रोग्रामर (परिवीक्षाधीन) का मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट, ई–गवर्नेन्स सैल, ब्लॉक मुख्यालय, कोटड़ा, जिला उदयपुर में रहेगा तथा निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होगें।

आज्ञा से,

(ए.एम देशपाण्ड़े)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं –

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक क–3 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर को निलम्बनकाल में उपस्थिति अंकित करने के उद्देश्य से रखी गई उपस्थिति पंजिका में प्रतिकार्य दिवस उपस्थिति अंकित करने हेतु निर्देश देवें एवं उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्वानुमति के बिना नहीं छोडेंगें। श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर को निलम्बनकाल में उनके अवकाश वेतन मे बराबर, उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे एवं राज. सेवा नियमों के नियम 53(2) में दिये गये प्रावधानानुसार श्री शर्मा से निलंबन काल में व्यवसाय नही करने से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्वाह भत्ते का भुगतान करने का श्रम करें।
4. उप खण्ड अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय कोटड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिकार्य दिवस अपनी उपस्थिति ब्लॉक मुख्यालय कोटड़ा, जिला उदयपुर के कार्यालय मे उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित करेगें व पूर्वानुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
6. निजी/रक्षित पत्रावलीं

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)